तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/01/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की रजिस्ट्री एडी पुनः प्राप्त नही हुई। इंतजार होकर पत्रावली 24.01.2023 को पेश हो।
24.01.2023	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व रजिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनको 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। बावजुद सूचना को कोई उपस्थित नही हुआ । विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

न्यायालय उ...
क्रमांक : वाद / 2022 / 109
प्रार्थी
हुक्म ... में जारी

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 109 दिनांक : 24-01-2023

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. हरचन्दराम पुत्र खंगाराम वगैरा 06
जाति गरूड़ा निवासी बोड़वा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. मोबताराम पुत्र भीखाराम वगैरा 82,
जाति गरूड़ा निवासी बोड़वा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 415 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – खारड़ा बेरा, पटवार मण्डल – बोड़वा तहसील –बायतु जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 531 / 270 रकबा 1.5614 हैक्टयर एवं मौजा–खवालिया नाडा, पटवार मण्डल – बोड़वा तहसील –बायतु के खेत खसरा नं. 265 रकबा 1.8769 हैक्टयर एवं मौजा – बोड़वा, पटवार मण्डल – बोड़वा तहसील –बायतु के खेत खसरा नंबर 718 / 609, 725 / 717 रकबा क्रमशः 4.7089, 2.3544 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

24/1/2023

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 110-114 दिनांक : 24-01-2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरचन्दराम पुत्र खंगाराम वगैरा 06
4. विप्रार्थी श्री मोबताराम पुत्र भीखाराम वगैरा 82,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

24/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु